दिनांक 12.04.2024
प्रेस विज्ञप्ति 12/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद कुशीनगर/थाना कसया

- **15–15 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 12.04.2024 को थाना कसया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–मुमताज 2–क्यामुद्दीन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कसया पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15–15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कसया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुमताज पुत्र इद्रीश निवासी सेमरा हर्दो थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर।

2–क्यामुद्दीन निवासी बसडीला थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना लालपुर पाण्डेयपुर

- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण**
- **23 हजार 200 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त आटो वाहन, मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 12 बोर 02 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 12.04.2024 को थाना लालपुर पाण्डेयपुर व थाना चोलापुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रिंग रोड एढे मोड़ के पास से 03 अभियुक्तों

1–राजूदास 2–बबलू 3–रामसागर उर्फ अभिषेक कुमार को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण, 23 हजार 200 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त आटो वाहन, मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 12 बोर 02 जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि कमिश्नरेट वाराणसी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटनाएं कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में कमिश्नरेट वाराणसी में अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजूदास निवासी व्यासपुर साहोपुरी थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

2–बबलू निवासी हीरामनपुर थाना सारनाथ,वाराणसी।

3–रामसागर उर्फ अभिषेक कुमार निवासी हरसौस थाना जंसा, वाराणसी।

बरामदगी

1–चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण।

2–23 हजार 200 रूपये नगद।

3–घटना में प्रयुक्त आटो वाहन, मोटर साइकिल।

4–02 अवैध तमंचा 12 बोर 02 जीवित कारतूस आदि।

जनपद मथुरा/थाना नौहझील

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 11 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के 05 मोबाइल फोन, 01 बुलेरो वाहन**
- **04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 11.04.2024 को थाना नौहझील व थाना शेरगढ़ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बसाऊ को जाने वाले कच्चे मार्ग पर पुलिस कार्यवाही में

अभियुक्त 1—जगदीश 2—गजेन्द्र घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 3—भरत 4—नीरज सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 11 हजार रूपये नगद, चोरी के 05 मोबाइल फोन, 01 बुलेरो वाहन, 04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना नौहझील पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जगदीश निवासी पेट्रोल पम्प के सामने बाजना रोड कस्बा व थाना नौहझील जनपद मथुरा।

2—गजेन्द्र निवासी पालखेड़ा थाना नौहझील जनपद मथुरा।

3—भरत निवासी रेतिया गली कस्बा व थाना नौहझील जनपद मथुरा।

4—नीरज निवासी छातंगे थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1—चोरी के 11 हजार रूपये नगद।

2—चोरी के 05 मोबाइल फोन, 01 बुलेरो वाहन।

3—04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद एटा/थाना निधौली कलां

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **33 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैद शस्त्र विभिन्न बोर**
- **02 जीवित, 03 खोखा कारतूस, 13 नाल विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 12.04.2024 को थाना निधौली कलां व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम नगला गोदी ईशन नदी पुल के पास से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे अभियुक्त 1—पूरन को गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त

मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तार के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 33 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैद शस्त्र विभिन्न बोर, 02 जीवित, 03 खोखा कारतूस, 13 नाल विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद हाथरस, एटा, अलीगढ़ के विभिन्न थानो में आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना निधौली कलां पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—पूरन निवासी भिसी मिर्जापुर थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस।

बरामदगी

1—33 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैद शस्त्र विभिन्न बोर।

2—02 जीवित, 03 खोखा कारतूस, 13 नाल विभिन्न बोर।

3—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद मैनपुरी/थाना कुरावली

- **लगभग 12 लाख रूपये कीमत के 64 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **घटना में प्रयुक्त आयशर ट्रैक्टर बरामद**

दिनॉकः 12.04.2024 को थाना कुरावली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एटा शरीफपुर बॉर्डर जीटी रोड से 02 अभियुक्तों 1—राजेश 2—दीपक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 12 लाख रूपये कीमत के 64 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, घटना में प्रयुक्त आयशर ट्रैक्टर बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कुरावली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजेश निवासी ग्राम रिठाल थाना रोहतक सदर जनपद रोहतक, हरियाणा।

2—दीपक निवासी ग्राम रिठाल थाना रोहतक सदर जनपद रोहतक, हरियाणा।

बरामदगी

1—लगभग 12 लाख रूपये कीमत के 64 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2—घटना में प्रयुक्त आयशर ट्रैक्टर।

जनपद बहराइच/थाना नानपारा

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 किलो 900 ग्राम अवैध चरस बरामद**

दिनांक 12.04.2024 को थाना नानपारा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विभिन्न स्थानो से 02 अभियुक्तों 1—सफीक उर्फ चाँद 2—मो0रऊफ उर्फ सानू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 किलो 900 ग्राम अवैध चरस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना नानपारा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सफीक उर्फ चाँद निवासी कल्लन खाँ थाना नानपारा जनपद बहराइच।

2—मो0रऊफ उर्फ सानू निवासी कल्लन खाँ थाना नानपारा जनपद बहराइच।

बरामदगी

1—02 किलो 900 ग्राम अवैध चरस।

➢ **जनपद बाराबंकी/थाना फतेहपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना फतेहपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304बी/498ए भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मो0अलीम को 12 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद शाहजहाँपुर/थाना निगोही (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना निगोही पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सियाराम को 10 वर्ष के कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।